राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1643/2010/अजमेर

श्री राजेन्द्र कुमार मून्दड़ा पुत्र श्री गुलाबचन्द जी मून्दड़ा निवासी 61/2 "जय विला", प्रताप नगर, ब्यावर। ...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक तहसीलदार, केकड़ी। ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ1(44)(2)लेखा/बजट/राशि/तृ.अ./980 दिनांक 11.08.10 के संलग्न उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर अजमेर का पत्र क्रमांक 55 दिनांक 16.01.08 था, के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी के भूखण्ड संख्या जी–67, 68, 75 व 76 का दस्तावेज पंजीयन हेतु उप–पंजीयक, केकड़ी के समक्ष दिनांक 17.03.07 को प्रस्तुत किया, जिसे उप–पंजीयक, केकड़ी ने प्रार्थी से जरिये रसीद संख्या 57, दिनांक 17.03.07 रू. 60,310/– जमा करवाकर दस्तावेज पंजीयक करके प्रार्थी को लौटा दिया। प्रार्थी ने मुद्रांक रिफण्ड का प्रार्थना–पत्र श्रीमान् महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उप–पंजीयक, केकड़ी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्टेट–फायनेन्शियल कॉरपोरेशन 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क से मुक्त होने के कारण जमा स्टाम्प ड्यूटी राशि प्रार्थी को वापिस लौटायी जाने की आज्ञा प्रदान करें। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर ने पत्र क्रमांक एफ. 1(44)(2)लेखा/बजट/राशि/तृ.अ./980 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक के आदेश पत्रांक 55 दिनांक 16.01.2008 की प्रति उपलब्ध करवाकर राजस्व प्रतिदाय योग्य नहीं होने का उल्लेख करते हुये सूचित किया हैं जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3. प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया हैं। प्रार्थी स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त था, इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया गया हैं। अतः आदेश दिनांक 16.01.2008 निरस्त कर प्रार्थी को 60,310/– की राशि रिफण्ड किये जाने का आदेश दिया जावें।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने राशि स्वेच्छा से जमा कराई है तथा दस्तावेज प्राप्त कर लिया है जिस पर कोई रिफण्ड नहीं दिया जा सकता हैं।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के आधार पर स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती हैं।

8. विचराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी के भूखण्ड संख्या जी–67, 68, 75 व 76 का दस्तावेज पंजीयन हेतु उप–पंजीयक, केकड़ी के समक्ष दिनांक 17.03.2007 को प्रस्तुत किया, जिसे उप–पंजीयक, केकड़ी ने प्रार्थी से जरिये रसीद संख्या 57, दिनांक 17.03.2007 रू. 60,310/– जमा करवाकर दस्तावेज पंजीयक करके प्रार्थी को लौटा दिया। प्रार्थी ने मुद्रांक रिफण्ड का प्रार्थना–पत्र श्रीमान् महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उप–पंजीयक, केकड़ी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्टेट–फायनेन्शियल कॉरपोरेशन 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क से मुक्त होने के कारण जमा स्टाम्प ड्यूटी राशि प्रार्थी को वापिस लौटायी जाने की आज्ञा प्रदान करें। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर ने पत्र क्रमांक एफ.1(44)(2)लेखा/बजट/राशि/तृ.अ./980 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक के आदेश पत्रांक 55 दिनांक 16.01.2008 की प्रति उपलब्ध करवाकर राजस्व प्रतिदाय योग्य नहीं होने का उल्लेख करते हुये सूचित किया।

9. प्रार्थी ने निगरानी के प्रथम पृष्ठ पर "निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 विरूद्ध आदेश महानिरीक्षक पंजीयन एंव मुद्रांक, अजमेर दिनांक 16.01.2008" का उल्लेख करते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जबकि निगरानी के पैरा संख्या 3 में यह उल्लेख किया है कि "महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, कर भवन, अजमेर ने क्रमांक एफ.1(44)(2)लेखा/बजट/राशि/तृ.अ./980 दिनांक 11.08.2010 को प्रार्थी को आदेश पत्रांक 55 दिनांक 16.01.08 के आदेश प्रतिलिपी उपलब्ध करवाकर सूचित किया कि प्रार्थी का रिफण्ड प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी माननीय न्यायालय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है :–"

लगातार.....3

इस प्रकार प्रथम पृष्ठ पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर दिनांक 16.01.2008 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है जबकि प्रकरण से संबंधित महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का पत्र दिनांक 16.01.2008 नही है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर का पत्र दिनांक 11.08.2010 है। यदि प्रकरण में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के आदेश के विरूद्ध निगरानी मानी जाती है तो यह निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है क्योंकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत इस न्यायालय को कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध ही निगरानी सुनने का अधिकार है। यदि प्रकरण में उप–महानिरीक्षक, पंजीयन एवं कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के आदेश दिनांक 16.01.2008 के विरूद्ध निगरानी मानी जाती है तो उपरोक्त पत्र दिनांक 16.01.2008 आदेश के रूप में नही है बल्कि पत्र क्रमांक 55 दिनांक 16.01.2008 है जिसके द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसके आधार पर अंतिम निर्णय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने पत्र क्रमांक एफ.1(44)(2)लेखा/बजट/राशि/तृ.अ./980 दिनांक 11.08.2010 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया है। इस प्रकार उप–महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर का पत्र क्रमांक 55 दिनांक 16.01.2008 आदेश की श्रेणी में नही है तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में लिखा गया पत्र है जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कोई सारभूत आदेश पारित नही किया जा सकता।

10. इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार प्रार्थी को संबंधित विधिक प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिक कार्यवाही करनी चाहिए थी जिससे कि उस पर युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया जाता।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है। प्रार्थी चाहे तो संबंधित विधिक प्रावधान के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है तथा सक्षम अधिकारी इस निर्णय से प्रभावित हुए बिना नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय सुनाया गया।

9.1.2017

(नत्थूराम)
सदस्य